



सार्वजनिक सूचना

रोहिणी आवासीय योजना—1981 के आबंटितियों के ध्यानार्थ !

रोहिणी आवासीय योजना—1981 के आबंटितियों का ध्यान डीडीए के सक्षम प्राधिकारी के फैसले की ओर दिलाया जाता है जो कभी पत्र जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में है। यह निर्णय लिया गया है कि रोहिणी आवासीय योजना, 1981 के आबंटितियों को अब केवल अपने प्लाट का कभा लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:—

1. विधिवत रूप से डिस्चार्ज की हुई एफ.डी.आर. की मूल प्रति जिसपर 1/- रुपये का राजस्व टिकट चिपका हो।
2. दिए गए नमूने के अनुसार आबंटिति की ओर से नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित संशोधित शपथपत्र। (इसकी प्रतिलिपि डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.org.in पर उपलब्ध है)
3. आबंटिति एवं सह—आबंटिति के आधार कार्ड की स्वःप्रमाणित प्रति।
4. पैन कार्ड की स्वःप्रमाणित प्रति।
5. संबंधित प्लॉट के संबंध में प्रीमियम का लेन—देन दिखाते हुए डीडीए को किए गए भुगतान के प्रमाण में बैंक खाता पासबुक / बैंक स्टेटमेंट की प्रति।
6. आबंटिति एवं सह—आबंटिति दोनों के नमूना हस्ताक्षर तथा अद्यतन फोटो की स्वःप्रमाणित पहचान स्लिप।

उप निदेशक, एल एस बी (रोहिणी)

कृपया के डीडीए ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें या टॉल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।